


11.01.18

पत्रावली पेश। बाड़ी वकील की ओर से ब्रिफटींग
श्री शाकर धाम उप०। प्रतिवादीग के सम्पत्त तादिल/
अस तादिल अणप, पुनः पेश करने पर जारी है।
पत्रावली दिनांक 10/5/18 को पेश है।


3.5.18

पत्रावली दिनांक 10/5/18 के स्थान 3/5/18
दिनांक को कैम्प कोर्ट स्थान न्याया
में पेश हो। तदनुसार सभी पक्षकारन सूचित हो।


सहायक कलेक्टर (200)
चौहटन/सं. न

3.5.18


पत्रावली आज राजस्व कैम्प कोर्ट न्याय प्राप्ति
द्वारा 2018 के कैम्प सांवा में पेश हुई। (नं. बाड़ी ओर)
प्रतिवादी सं। उप०। इफ्त प्रकार की जानकारी
अगले काम ली गई। प्रतिवादी के मुनासफा
पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया।
प्रतिवादी ने निवेदन किया कि हमने वहां
के क्षेत्र में कभी-भी पेश नहीं किया
तथा न ही प्रवेश करना चाहते हैं।
इफ्त प्रकार की जांच करे से स्पष्ट होगा
है कि इफ्त प्रकार चलने योग्य नहीं है।



हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

अतः प्रतिवादी का निवेदन (बीकाए
कए वार्डो का वाद सारहीन तथा
मताहत तथ्यों पर आधारित होने के
कारण खारिज किया जाता है। प्रत्येक
फैलत शुमार होकर साखिल दफतर
हो। खेन्ना से कम हो।


सहायक कमिश्नर
(SDO) चौहटन